उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-63/2008-09

दशरथ सिंह

बनाम्

राज्य एवं अन्य

-: आदेश :-

दिनांक 28/07/12

नोटिश तामिला के बाद भी निर्धारित तिथि को बार-बार पुकार पर उत्तरवादी संख्या-02 के अनुपस्थित रहने के कारण अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षीय सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता दशरथ सिंह, पे0-हुरो सिंह, सा0-आमजोरा, थाना-पोड़ैयाहाट, जिला-गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के रा0वि0 वाद संख्या-14/2005-06 के आदेश दिनांक-13.10.2008 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने रा0वि0 वाद संख्या-14/2005-06 के आदेश दिनांक-13.10.2008 के द्वारा मौजा-आमजोरा जमाबंदी सं0-23 के दाग नं0-173 रकवा 00-06-08 धुर एवं दाग नं0-195 रकवा 00-02-12 धुर कुल रकवा 00-09-00 धुर जमीन से उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-आमजोरा के जमाबंदी सं0-23 दाग नं0-173 एवं दाग नं0-195 की जमीन गत सर्वे सेटल्मेंट पर्चा में रामधनी सिंह के नाम से दर्ज है। गत जमाबंदी रैयत रामधनी सिंह अपने पीछे एक पुत्र हुरो सिंह को छोड़कर फौत कर गये। हुरो सिंह का पुत्र अपीलकर्त्ता दशरथ सिंह है। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी रामनारायण सिंह ने दाग नं0-173, 195 एवं 314 से अपीलकर्त्ता को हटाने एवं उत्तरवादी रामनारायण सिंह को वापस के लिए आवेदन दाखिल किया था। निम्न न्यायालय ने दाग नं0-314 की जमीन को छोड़कर दाग नं0-173 एवं 195 की जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया है। लेकिन निम्न न्यायालय के द्वारा यह नहीं देखा गया कि अपीलकर्त्ता गत जमाबंदी रैयत के वंशज है और उक्त दाग नं0 की जमीन पर शांतिपूर्ण ढंग से दखलकार है। उनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय में उत्तरवादी रामनारायण सिंह के द्वारा दावा किया गया था कि उक्त जमीन उत्तरवादी रामनारायण सिंह के पूर्वज को वर्ष 1932-33 ई0 में उच्छेदी से प्राप्त हुआ था। लेकिन उत्तरवादी के द्वारा इस तथ्य को छिपाया गया कि उक्त जमीन

का बकाया लगान की राशि अपीलकर्त्ता के पूर्वज द्वारा वापस किया गया था एवं उच्छेदी जमीन उनके पूर्वज को वापस किया गया था और अपीलकर्त्ता के पूर्वज उसपर दखलकार है एवं उनके पूर्वज की मृत्यु के बाद उनके वंशज अपीलकर्त्ता उस पर शांतिपूर्ण ढंग से दखलकार है एवं सरकार को लगान देकर लगान रसीद प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान तसदीक सर्वे में भी अपीलकर्त्ता का नाम दर्ज किया गया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी संख्या–02 रामनारायण सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र निखिल कुमार को प्रतिस्थानी पक्षकार बनाया गया। प्रतिस्थानी पक्षकार को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिश दिया गया। नोटिश देने के बाद भी उत्तरवादी निखिल कुमार अनुपस्थित रहे। लेकिन निम्न न्यायालय में दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रैयती उच्छेदी वाद संख्या–1127/32–33 के द्वारा मौजा–आमजोरा के जमाबंदी सं0–23 के दाग नं0–173 रकवा 00–06–08 धुर एवं दाग नं0–195 रकवा 00–02–08 धुर जमीन मूल जमाबंदी रैयत को उच्छेद किया है एवं उच्छेदी जमीन की बंदोवस्ती हलधर सिंह के साथ की गयी है तथा दखल दिहानी भी दिलाया गया है। अपीलकर्त्ता का कथन है कि अपीलकर्त्ता के पूर्वज द्वारा बकाया लगान की राशि वापस किया गया। इसलिए अपीलकर्त्ता के पूर्वज को उक्त जमीन वापस किया गया था। लेकिन अपीलकर्त्ता के द्वारा इससे सम्बंधित कोई भी साक्ष्य जनित कागजात दाखिल नहीं किया है। अपीलकर्त्ता का दावा मौखिक है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के रा0वि0 वाद संख्या–14/2005–06 में दिनांक–13.10.2008 के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है। अभिलेख जिला अभिलेखागार, गोड्डा में जमा करें।
लिखाया एवं शुद्ध किया।

28/05/22
उपायुक्त,
गोड्डा।

28/05/22
उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.22 14:10:21 +05:30
Location: 192.168.29.8